

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
अधिसूचना

पटना, दिनांक— 05.08.26

एसओ0सं0—IV/M¹-1-02/2026⁴⁸⁷¹/ निबंधन अधिनियम, 1908 (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा—69 एवं धारा—78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

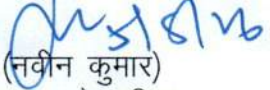
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:—

- i. यह नियमावली “बिहार निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2026” कहलाएगी।
- ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- iii. यह अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार निबंधन नियमावली, 2026 के नियम—23 (5) का प्रतिस्थापन।— “75 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को भी अधिनियम की धारा 38(1)(a) के अंतर्गत शारीरिक दुर्बलता वाले व्यक्ति के रूप में शामिल किया जाएगा”।

3. बिहार निबंधन नियमावली, 2026 के परिशिष्ट—ई की क्रम संख्या—01 का विवरण का प्रतिस्थापन।— “75 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए”।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(नवीन कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:— एस.ओ.सं0—IV/M¹-1-02/2026⁴⁸⁷¹/, पटना, दिनांक— 05.08.26

प्रतिलिपि:— उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।



सरकार के सचिव।

Department of Prohibition, Excise & Registration
(Registration)
Notification

Patna, Dated :.....

S.O.No.- IV/M¹ -1-02/2026...../ In exercise of the powers conferred by Section 69 and Section 78 of the Registration Act, 1908 (as amended from time to time) the Inspector General of Registration with the approval of the Government of Bihar make following Rules:

1. Short Title, Extent & Commencement :-

- i. These rules may be called the "Bihar Registration (Amendment) Rules, 2026".
- ii. It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- iii. It shall come into force with effect from the date of notification.

2. Substitution of Rule 23(5) of the Bihar Registration Rules 2026. "A Person of the age of 75 years or above will also be included as a person with bodily infirmity under Section 38(1)(a) of the Act".

3. Substitution of the statement at serial number 01 of Appendix-E of the Bihar Registration Rules, 2026. "For persons 75 years or above in age."

By the Order of the Governor of Bihar,

(Navin Kumar)

Secretary to the Government.

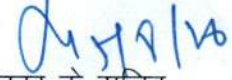
ज्ञापक:- एस.ओ.सं०- IV/M¹-1-02/2026...../ 4871, पटना, दिनांक- 05.08.26

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, बिहार पटना को सी०डी० सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800017 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के सचिव

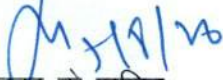
ज्ञापांक:- एस.ओ.सं०- IV/M¹-1-02/2026⁴⁸⁷¹/, पटना, दिनांक- 05.08.26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- एस.ओ.सं०- IV/M¹-1-02/2026⁴⁸⁷¹/, पटना, दिनांक- 05.08.26

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी)/अवर निबंधक (सभी)/कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव